"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2010—कार्तिक 7, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक ई-1-1/2010/एक/2.—श्री दिनेश श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (1992), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 4-10-2010 से 26-11-2010 तक Mid Career Training, Phase-IV के लिये नियोजित किया गया है. श्री श्रीवास्तव के प्रशिक्षण अवधि में श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991), सचिव, वित्त विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सचिव, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सचिव, विमानन विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार में भी रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/33/दो-गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर छ. ग. को खंड वर्ष 2010-13 में निम्नानुसार सपरिवार भारत में किसी भी स्थान के अंतर्गत दिनांक 16-08-2010 से दिनांक 25-08-2010 तक कुल 10 दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए गोवा जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है :—

1. श्रीमती संगीता श्रीवास्तव (पत्नी) 2. कु. शर्मिष्ठा (पुत्री)

2. श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर छ. ग. के अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राजेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन, धमतरी को सौंपा जाता है.

3. श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

6. श्री मयंक श्रीवास्तव, भापुसे, महामहिम राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर छ. ग. को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 31011/4/2008-Esst. (A), दिनांक 23-09-2008 के अनुसार 10 दिवस (दस दिवस) का अर्जित अवकाश समर्पित करने की अनुमति दी जाती है.

7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त समर्पित अर्जित अवकाश का समायोजन अधिकारी के अवकाश लेखा में किया जाकर आवश्यक प्रविष्टियां उनकी सेवापुस्तिका में कर दी गई है.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/36/दो-गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर को पारिवारिक कार्य से नई दिल्ली जाने हेतु दिनांक 25-10-2010 से 02-11-2010 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान करता है कि राज्योत्सव 2010 के दौरान आवश्यकता होने पर मुख्यालय वापस लौटना होगा.

2. श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वहीं वेतन एवं भत्ते देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायपुर छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 1/02/दो-गृह/भापुसे/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, धमतरी को दिनांक 07-10-2010 से 21-10-2010 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, धमतरी के अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री राजेश अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छ. ग. को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, धमतरी को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, धमतरी, छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शेख आरिफ हुसैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 3-94/2010/गृह-दो.—इस विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 3-79/दो/गृह/2006, दिनांक 08-01-2009 के सरल क्रमांक 3 में आंशिक संशोधन करते हुए "जिला दंतेवाड़ा" के स्थान पर "जिला बस्तर" एवं "चौकी पखनार" के स्थान पर "चौकी पखनार वि. ख. दरभा" पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 6-17/36/यो/2010/289.—"श्रीमती बिलासा बाई केंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार" शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को दिए जाने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 10-53/2009/1/5 दिनांक 07-12-2009 द्वारा जारी निम्न निर्देश प्रतिस्थापित किए जाते हैं :—

(i) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

(ii) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वत: ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा.

2. शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ. 01-31/31/स्था./2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, निम्नांकित अधीक्षण अभियंताओं (सिविल) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400-67000/-+ ग्रेड वेतन रुपये 08,900/- में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए स्थान, पर, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम पद व वर्तमान पदस्थापना, वरिष्ठता क्रमांक (2)	पदोन्नत कर जहां पदस्थ किया जाना है, पद एवं स्थान (3)
1.	श्री जी. पी. एस. बघेल, अधीक्षण अभियंता/प्रभारी मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता), रायपुर.	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर (छ. ग. सा. प्र. विभाग के अधीन मुख्य तकनीकी परीक्षक सर्तकता रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर यथावत् पदस्थीकरण)
2.	श्री रमेशचन्द्र सिंघवी, अधीक्षण अभियंता/प्रभारी मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर.	मुख्य अभियंता (प्रबोधन) कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर.
3.	श्री अनिल कुमार खरे, अधीक्षण अभियंता/प्रभारी मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर.	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 20-40/25-2/2008.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर संभागीय मुख्यालय में खोलने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नानुसार पदों का सृजन करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतन बैंड+ग्रेड वेतन (3)	पद संख्या (4)
1.	अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+6600	01
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	15600-39100+5400	01

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसंधान सहायक	9300-34800+4200	03
4.	पुलिस निरीक्षक	9300-34800+4300	01
5.	विधि सहायक	9300-34800+4200	01
6.	लेखापाल/सहायक ग्रेड 2	5200-20200+2400	01
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200+2200	01
8.	भृत्य	4750-7440+1300	01
9.	चौकीदार	4750-7440+1300	01
		योग	11

2. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-33 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (02) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 800-अन्य व्यय 0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (334) आदिवासी अन्वेषण संस्था 01-वेतन भत्ते आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 334/23564/बी-3/चार/2010 दिनांक 24-9-2010 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 10-13/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (ए) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उप श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम के अधीन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "प्रमाणीकरण अधिकारी" नियुक्त करता है.

No. F 10-13/2010/16.—In exercise of powers conferred by seciton 3 (a) of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Order) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of all notifications issued in this behalf previously, the State Government hereby appoints Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner to be the "Certifying Officer" for the whole of Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ-4/(ए) 2/2002/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला कोषालय जशपुर के अन्तर्गत कुनकुरी तहसील में उप कोषालय दिनांक 01-11-2010 से प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

No./F-4 (a)/2/2002/ESTT/IV.—The State Government of Chhattisgarh is hereby pleased to open Sub Treasury in Kunkuri Tehsil under District Treasury Jashpur w-e-f-01-11-2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 7-38/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, 1973) की धारा 13 (2) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र, जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-25/99/बत्तीस दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए, पुनरीक्षित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाए अनुसार विनिश्चित करता है :—

अनुसूची

दुर्ग-भिलाई निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : साकरा, बोरसी, अछोटी, मुरमुन्दा, ओखरा, सेमरिया, बागडूमर, अहेरी, बासीन, करंजा भिलाई, झेंझरी, डांडेसरा, ढाबा, अंजोरा, सेवती, सिलयारीडीह, पोटिया (धमधा तह.), ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में : दमोदा, खुरसीडीह, खुरसूल, भरदाडीह, गनियारी, मनकीडीह, खपरी, अंजोरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में : थनौदा, चंदखुरी, कोडिया, खम्हरिया, पुरई, उतई, पतोरा, मुड़पार, पहंडोर, करसा, अमेरी, अमलीडीह, मोतीपुर, कापसी, महुदा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में : जमराव, घुघवा, खुडमुडा, अमलेश्वर, मटिया, भोथली, मगरघटा, कुम्हारी, खपरी, पंचदेवरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 6-12/2010/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-08-2010 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जी. आर. चाकोले, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त के स्थान पर उनकी पदस्थापना आयुक्त, वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम, 2003" तथा उक्त नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2001/1/3, दिनांक 11-02-2008 द्वारा जारी किये गए पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारी की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/2442/भू-अर्जन/02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	कतियाररास	0.38	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन/सड़क) दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा.	जिला जेल दंतेवाड़ा हेतु पहुंच मार्ग निर्माण के लिये भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

क्रमांक 42/क/अ.वि.अ./भू. अ./अ-82 वर्ष 2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	बालसी	4.78	डिप्टी जनरल मैनेजर, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, पाराद्वीप रायपुर रांची पाईप लाईन परियोजना मुख्यालय भुवनेश्वर.	इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा पाईप लाईन स्टेशन निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	रामानुजनगर	15.59	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ.रा.वि.उ.कं. मर्या., बिश्रामपुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप वि.परि. हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	पम्पापुर	2.566	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ.रा.वि.उ.कं. मर्या., बिश्रामपुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप वि.परि. हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./02/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	लखना प. ह. नं. 01	11/2	0.053	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	खारून नदी पर ग्राम लखना की ओर पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
			69/1	0.095		
			69/2	0.140		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			70/1	0.082		
			70/2	0.077		
		योग	05	0.447		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9749/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक संन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-ब्राम्हणभेड़ी, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45	0.226
429/13	0.048
352	0.020
322/2	0.016
46	0.088
439/1	0.012
योग 6	0.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु. अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9750/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीटोला, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.240 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/4	0.048
219/2	0.112
198/3	0.080
योग 3	0.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9751/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-अं. चौकी
   (ग) नगर/ग्राम-केकतीटोला, प. ह. नं. 07
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.492 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
337	0.040
338	0.180
330/17	0.219
328/7	0.053
योग 4	0.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9752/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अंनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) ज़िला-राजनांदगांव
   (ख) तहसील-अं. चौकी
   (ग) नगर/ग्राम-किलारगोंदी, प. ह. नं. 09
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.024
34	0.048
1/2	0.100
योग 3	0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9753/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-सेम्हरबांधा, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.331 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	231	0.061
	6/1	0.028
	6/2	0.030
	288/2	0.048
	288/4	0.020
	31/2	0.028
	172	0.021
	155/3	0.012
	179	0.040
	511	0.043
योग	10	0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9754/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-भड़सेना, प. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.870 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	327	0.020
	333	0.092
	321	0.016
	319	0.084
	322	0.016
	326	0.024
	314/1	0.060
	323	0.032
	324/1	0.008
	194	0.101
	191	0.064
	325	0.020
	204/2	0.100
	196	0.080
	320/1	0.053
	328	0.020
	207/4	0.080
योग	17	0.870

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9755/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-धानापायली, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	110	0.097
	395	0.040
योग	2	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9756/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अं. चौकी
(ग) नगर/ग्राम-हांथीकन्हार, प्र. ह. नं. 20
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.528 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	245/1	0.121
	245/2	0.100
	245/3	0.077
	18/1	0.061
	17/3	0.127
	244/6	0.042
योग	6	0.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

क्रमांक/78/अ.वि.अ./भू-अर्जन/06-अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-गुड़रूडीह, प. ह. नं. 04

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	418	0.08
	680	0.09
	418	0.44
	418	0.14
	680	0.08
	418	0.08
	109	0.06
	418	0.08
	418	0.02
	77	0.26
	418	0.02
	418	0.04
	350	0.11
	412	0.07
	109	0.14
	109	0.06
	109	0.08
	109	0.06
	109	0.20
	109	0.02
	109	0.11
योग	20	2.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- परसाडीह वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-पहंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-53.15 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
26/1	0.76
26/2, 27/1/1, 149/1	2.01
26/5, 27/1/2, 149/2	1.60
27/17	0.21
592	0.03
27/2	0.02
28/1	1.32
29/2	0.03
34/1	0.03
27/3	0.23
27/4	0.48
27/5	0.50
27/6, 28/2, 29/4, 34/2	2.34
27/7	0.30
27/8	0.30
27/9	0.30
27/10	0.30
27/18, 28/3, 29/5, 34/3	0.25
29/1	0.37

(1)	(2)	(1)	(2)
29/3 क	0.20	47/2	0.24
29/3 ख	0.15	47/1	0.41
29/4	0.10	48/1	0.20
29/8	0.07	48/2	0.23
29/9	0.07	48/3	0.16
29/10	0.06	49/1	0.70
29/11	0.07	49/4	0.40
29/12	0.07	250/2	0.50
37	0.50	258/1, 266/3	0.06
40/2	0.435	258/3, 259/3, 264/3, 265/3, 266/4	0.07
38/1	0.07		
38/3	0.07	258/4, 259/4, 264/4, 265/4, 266/5	0.06
597/2	0.04		
594	0.04	258/5, 259/5, 264/5, 265/5, 266/6	0.06
38/4	0.05		
597/4	0.075	262/1	0.90
39/1	0.15	263/1	0.18
39/2	0.06	263/3	0.18
39/3	0.06	263/4	0.04
40/1	1.84	264/1	0.84
40/3	0.96	676/1	0.38
40/4	0.96	266/1	0.18
40/5	0.90	267/1	0.42
40/7	0.10	271/1	0.10
40/8	0.35	267/2	0.02
40/9	0.48	267/3	0.02
42/3	0.02	268/1	0.22
40/6	0.14	268/2	0.10
40/10	0.25	269/1	0.22
40/11	0.12	284/3	0.13
40/12	0.31	268/3	0.09
40/13	0.40	269/2	0.22
40/14	0.15	284/7	0.13
40/15	0.13	268/4	0.19
40/16	0.13	269/3	0.44
40/17	0.185	284/8	0.26
40/18	0.20	270/1	0.46
40/19	0.20	284/1	0.14
40/20	0.05	270/2	0.80
40/21	0.05	282	0.84
40/22	0.14	270/3	0.46
41	0.10	284/2	0.39
42/2	0.07	270/4	0.47
49/3	0.89	284/4	0.39
42/4	0.03	270/5	0.05
49/2	0.30	270/6	0.02
45/2	0.08	284/6	0.08
46	0.17	270/7	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
270/8	0.08	633/1	0.01
270/9	0.08	633/2	0.01
270/10	0.08	633/3	0.01
270/11	0.08	633/4	0.01
271/2	1.84	633/5	0.01
272/1	0.16	633/6	0.01
273/1	0.06	633/7	0.01
272/2	0.34	633/8	0.01
273/2	0.06	633/9	0.01
272/3	0.75	633/10	0.01
274/1	0.08	633/11	0.01
274/2	0.10	633/12	0.02
274/3	0.14	634/1	0.06
281	0.54	634/2	0.06
286	0.11	635	0.32
288	0.08	636	0.21
289/2	0.28	666/1	0.15
416/1 झ	0.02	666/3	0.15
283	0.17	666/4	0.15
284/5	0.05	666/5	0.15
285	0.19	667	0.22
287	0.40	673/2	0.28
290	0.62	668	0.14
291	0.44	669	0.41
516/2	0.20	673/1	0.29
623/1	0.66	670/1	0.29
623/2	0.04	670/2	0.30
624	0.41	671/1	0.32
625/1	0.07	671/5	0.08
625/2	0.17	671/4	0.20
625/3	0.16	671/6	0.40
625/4	0.10	672/1	0.08
626/1	0.11	674/1	0.61
626/2	0.11	672/2	0.04
628	0.08	674/2	0.30
629/1	0.06	672/3	0.04
629/2 क	0.02	674/3	0.30
629/2 ख	0.02	672/4	0.09
629/2 ग	0.01	674/4	0.61
629/2 घ	0.02	677/1	0.71
629/2 ङ	0.02	680/1	0.25
629/2 च	0.01	681/1	0.16
630/1	0.09		
630/2	0.08		
631	0.14		
632	0.10		

(1)	(2)
682/1	0.26
योग	53.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राज पाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्र. क्र. 19/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.521 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
295/3	0.162
304/1	0.032
601/2	0.146
514/12	0.061
304/2	0.093
304/4	0.028
305/1	0.008
305/2	0.008
305/3	0.012
307/1	0.012
307/2	0.012
307/3	0.012
306/3	0.125
466/3	0.033
467/3	0.004
468/4	0.077
548/5	0.009
468/2	0.012
312/2	0.036
409	0.008
410/1	0.097
469/1	0.024
467/1	0.008
466/1	0.020
601/1	0.061
312/3	0.036
391/2	0.113
521/2	0.202
365/1	0.105
369/1	0.024
368	0.049
386/4	0.101
561/1	0.032
387/1	0.073
391/3	0.028
519/1	0.049
520	0.081
514/3	0.061
600	0.405
559/2	0.056
547	0.093
559/1	0.061
370/3	0.040
601/6	0.016
594/1	0.032
594/2	0.032
594/3	0.032
548/1	0.032
548/3	0.073
545/1	0.049
545/3	0.049

(1)	(2)
545/4	0.049
561/6	0.032
546/2	0.061
595	0.222
467/2	0.020
363/1	0.040
369/2	0.073
योग 58	3.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ऊर्दना से किसनापुर, खैरपुर मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सूपा, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.195 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
32/1	0.314
32/2	0.008
34	0.085
35/8	0.004
35/1 ख	0.182
35/10	0.077
35/3	0.032
35/2	0.061
36	0.189
79	0.004
55/6	0.226
60/1	0.153
60/2	0.121
59/4	0.004
433/1	0.036
61/1	0.012
61/2	0.101
433/2	0.004
63	0.036
429	0.020
431	0.036
513/1	0.004
55/5	0.312
32/3	0.049
428/1	0.004
62	0.121
योग 26	2.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-कठली, प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.269 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
122/3	0.137
131	0.129
187/2	0.008
177/2	0.008
177/3	0.004
114/1	0.008
122/2	0.073
124/2	0.024
130	0.028
127	0.041
226/2	0.016
112	0.061
171	0.165
172	0.032
173	0.061
227	0.032
111/2	0.004
107/2	0.097
115/1	0.004
186	0.057
183/2	0:045
177/4	0.033
178/2	0.008
185	0.065
225/1	0.008
224	0.113
226/1	0.004
223	0.041
95/2	0.016
174/2	0.036
108/2	0.032
108/1	0.020
174/3	0.032
111/1	0.107
106/2	0.004
110/1	0.020
110/2	0.032
228/2	0.012
228/3	0.016
122/5	0.016
109/2	0.024
187/1	0.073
125/2	0.053
126/2	0.029
124/1	0.109
177/1	0.041
95/1	0.057
175/4	0.073
178/1	0.012
178/3	0.008
115/2 क	0.049
175/6	0.004
122/1	0.028
122/6	0.032
115/2 ख	0.028
योग 55	2.269

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-बड़े भंडार, प. ह. नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.872 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
747/2	0.008
746/1	0.117
744/2	0.097
706	0.004
677	0.157
739/3	0.004
741/1	0.085
741/2	0.157
710/3	0.073
709	0.053
710/2	0.008
711	0.085
712	0.073
715/3	0.024
713	0.041
599/1	0.020
603/1	0.004
714/3	0.101
568/1	0.129
681	0.008
679	0.121
680/1	0.222
566/1	0.012
566/2	0.041
569	0.032
584/1	0.081
607	0.093
608	0.073
612	0.105
613	0.217
615/1	0.049
615/2	0.004
583/3	0.032
584/2	0.020
622	0.012
599/2	0.061
745	0.121
744/3	0.028
599/8	0.053
743/1	0.053
710/1	0.073
678/1	0.045
714/1	0.061
676/1	0.041
(1)	(2)
678/3	0.045
570	0.077
565/1	0.012
565/5	0.012
565/6	0.012
618	0.036
610	0.041
616	0.121
599/4	0.041
598/1	0.085
603/2	0.061
617/1	0.032
583/1	0.028
618/2	0.004
617/2	0.004
599/9	0.053
747/4	0.073
714/2	0.008
598/2	0.185
676/2	0.012
583/2	0.032
योग 65	3.872

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहंसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-बरपाली, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.555 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
335/1	0.032
335/7	0.045
335/12	0.057
335/2	0.045
335/3	0.012
335/5	0.045
379/1	0.065
335/4	0.049
335/9	0.085
335/10	0.057
370/1	0.081
370/2	0.012
371	0.073
372	0.081
373	0.004
375/2	0.109
376/3	0.121
382/3	0.065
382/1	0.041
383/1	0.032
399/2	0.004
388	0.008
375/1	0.065
374/4	0.004
377/2	0.032
380/2	0.081
381/2	0.101
409/1	0.121
408/2	0.113
401/2	0.057
410/3	0.069
341/1	0.065
383/2	0.045
410/1	0.008
382/2	0.012
407	0.069
406/1	0.141
406/2	0.045
401/1	0.121
341/2	0.016
341/3	0.065
400/1	0.117
400/3	0.065
400/2	0.012
342/4	0.004
370/3	0.004
योग 46	2.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-चिखली, प. ह. नं. 38

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.811 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
86/7	0.004
86/10	0.020
258/2	0.032

(1)	(2)
86/4	0.242
120/3	0.125
88/1	0.069
113	0.073
252	0.121
358	0.069
119/1 ख	0.085
82/1	0.020
88/2	0.004
249/2	0.081
119/1 क	0.145
387	0.221
359	0.041
357	0.097
350	0.081
299/1	0.028
351/3	0.004
352/2	0.061
121/1	0.028
340/6	0.020
289/1	0.008
340/3	0.077
340/2	0.093
342/1	0.020
315/2	0.108
303/2	0.041
123/5	0.214
250/2	0.024
248/1	0.004
245/5	0.105
251/5	0.141
86/8	0.061
86/9	0.016
340/5	0.008
302/1	0.053
302/2	0.065
301/1	0.008
291/4	0.081
289/2	0.085
278	0.073
254/1	0.041
244/1	0.012
244/2	0.057
243	0.053
240/1	0.153
120/2	0.129
120/4	0.012
122/2	0.113
90/2	0.024
90/1	0.012
91/5	0.008
258/3	0.060
87/2	0.097
112/1	0.093
356/1	0.012
303/3	0.032
304/2	0.016
300/1	0.061
294/7	0.089
288/1	0.004
287	0.137
280/2	0.008
121/3	0.061
280/3	0.074
351/1	0.004
279/1	0.024
279/2	0.053
248/2	0.012
301/1	0.016
250/1	0.049
122/1	0.081
242/2	0.057
281/1	0.008
315/1	0.032
88/3	0.024
87/1	0.129
87/3	0.133
259/1	0.061
82/2	0.249
89/4	0.177
121/2	0.049
249/1	0.129
247	0.028
360/1	0.073
342	0.109
योग 88	5.811

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर से कथली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचीं के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-पाटन, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.609 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1214/2	0.041
	1252	0.283
	1253/1	0.025
	1218/1	0.113
	1253/2	0.178
	1445	0.049
	1446/1	0.016
	1446/2	0.073
	1446/3	0.004
	1446/4	0.081
	1204	0.004
	1219	0.097
	1261	0.283
	1216/1	0.053
	1458/2	0.037
	1464	0.049
	1278/1 ख	0.024
	1462/2	0.190
	1278/1 ग	0.009
योग	19	1.609

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/05/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोपका, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1062	0.012
913/3	0.004
913/4	0.142
892/2257	0.073
916/2	0.004
919/4-920/4-922/4	0.065
1030/1	0.162
1030/5	0.012
913/5	0.154
918	0.223
1030/2	0.142
1052	0.186

(1)	(2)
900/3	0.041
892/1	0.036
892/2	0.235
891/2	0.012
917/1	0.004
919/1-920/1-922/1	0.065
902	0.105
913/1	0.033
1058	0.340
898/2	0.041
926/3	0.061
926/10	0.062
888/2258/2	0.062
926/2	0.063
योग 26	2.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/06/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोपकी, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
616	0.049
622	0.231
840/2	0.105
785/1	0.057
781/2	0.259
781/1	0.065
626/1	0.109
865/1	0.004
813/1	0.012
787	0.121
781/3	0.065
781/4	0.032
784/1	0.113
813/2	0.202
840/1	0.009
841	0.004
842/4	0.009
842/5	0.202
842/6	0.097
791	0.081
792/1	0.255
योग 21	2.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/07/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-गुडेलिया, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.721 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.101
81	0.024
82	0.053
83/2	0.004
364	0.166
453/2	0.202
107	0.053
366	0.242
453/3	0.202
444/2	0.085
269	0.101
365	0.121
444/4	0.053
447	0.009
448	0.073
110	0.151
108	0.053
4/1	0.138
2	0.097
102-103	0.089
446/2	0.056
449/2	0.101
100	0.029
4/2	0.255
79/1	0.009
109	0.097
446/1	0.057
457	0.069
105/2	0.004
268	0.004
270/7	0.278
1/4	0.194
270/2	0.162
270/8	0.162
326/2	0.004
327/1	0.174
327/3	0.049
योग 37	3.721

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/08/अ/82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-चिचपोल, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-46.614 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1608/4	0.078
141/4	0.021
386/1	0.009
1608/3	0.078
1525/1-1528/49	0.809
1525/1-1528/18	0.809
1525/1-1528/28	0.809
1525/1-1528/17	0.809
1525/1-1528/23	0.809
1525/1-1528/30	0.809
1525/1-1528/14	0.809
1572	0.162
1574	0.769
1525/1-1528/46	0.809
1525/1-1528/39	0.809
587	0.506
1525/1-1528/40	0.607
1525/1-1528/33	0.809
1525/1-1528/32	0.809
1525/1-1528/52	0.607
1525/1-1528/21	0.809
1525/1-1528/42	0.607
1601/1	1.019
1606	0.194
1610/1	0.396
1612	0.283

(1)	(2)	(1)	(2)
1525/1-1528/24	0.809	1525/1-1528/43	0.405
1525/1-1528/53	0.607	1525/1-1528/56	0.404
1525/1-1528/29	0.809	1525/1-1528/51	0.870
1525/1-1528/48	0.809	1756/2	0.049
1525/1-1528/45	0.809	1566	0.049
1525/1-1528/25	0.405	140/2	0.101
1525/1-1528/47	0.809	547/2	0.073
1525/1-1528/50	0.809	140/4	0.061
1607	0.210	320/1	0.405
1643	0.049	330	0.057
603	0.045	386/2	0.097
1489/7	0.506	1634	0.243
1525/1-1528/5	1.202	1638	0.323
1742	0.004	321/4	0.101
1525/1-1528/9	0.809	610	0.275
1525/1-1528/10	0.809	600	0.037
1525/1-1528/12	0.809	609	0.138
67	0.009	1715/2	0.243
528	0.009	1713	0.073
1569/1	0.121	333	0.061
1569/3	0.121	71	0.131
1569/2	0.361	141/1	0.150
1608/1	0.233	69	0.323
523	0.017	297	0.065
141/3	0.089	26	0.194
1608/2	0.078	77/2	0.069
4/2	0.012	512-513-514/2	0.154
62/2	0.029	320/2	0.152
142/1	0.004	601	0.121
328	0.033	1640	0.049
331	0.085	1716	0.162
1641	0.255	391	0.239
1592	0.534	1708/2	0.081
1604	0.397	4/1	0.202
1525/1-1528/44	0.809	530/1	0.081
143/1	0.081	22	0.194
530/2	0.009	62/3	0.182
606	0.012	62/5	0.081
1525/1-1528/16	0.809	1489/14	1.181
1525/1-1528/22	0.809	1601/3	0.890
1525/1-1528/27	0.809	1605/1	0.195
1525/1-1528/26	0.809	516/1	0.021
1525/1-1528/13	0.809	586/2	0.336
1525/1-1528/31	0.809	1489/15	1.173
1525/1-1528/41	0.809	1525/1-1528/2	1.202

(1)	(2)
1525/1-1528/54	0.607
योग 117	46.614

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 482/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 17-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 75/10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
581	1.15
403	0.03
289	0.06
290	0.07
301	1.54
288	0.40
580	1.55
575	0.12
437	0.05
584	0.10
502	0.04
287/2	0.17
287/3	0.41
291/2	0.49
योग 14	6.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत रोड क्र. 02 एवं 06 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 483/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 15-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कोटनी, प. ह. नं. 69/18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21	0.70
22	0.72
25	2.19
26	1.29
29	0.31
232	0.61
योग 6	5.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत प्लानिंग एवं सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 484/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 18-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 74/13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
417	0.15
योग	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्रमांक 485/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 16-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-छतौना, प. ह. नं. 74/13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
594	0.16
योग	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नई राजधानी योजनांतर्गत रोड क्रमांक 6 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग-अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

संशोधन

क्रमांक 5318/अ.वि.अ./भू-अर्जन/10.— ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. में 45.182 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 6 का प्रकाशन दिनांक 13-10-2010 को कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छ. ग. एवं पदेन उप सचिव,

छ. ग. शासन, राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र भाग-1 के पेज नं. 1490 दिनांक 22-10-2010 में हुआ है. जिसे संशोधन पश्चात् निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

पूर्व में प्रकाशित

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2191/5	0.008

संशोधित प्रकाशित

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1291/5	0.008

एस. सी. श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 13 सितम्बर 2010

क्रमांक 8820/अधीक्षक/2010.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक ई/1-5/2006/1/2 रायपुर दिनांक 13-08-2010 के अनुसार सुश्री शिखा राजपूत, भा. प्रा. से., सहायक कलेक्टर की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) में होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9983/अधीक्षक/2009 दिनांक 16-09-2009 को अधिक्रमित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य बंटन/कार्य विभाजन किया जाता है.

1. **श्री पी. एल. निहालानी (रा.प्र.से.), अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी**
   1. नोंडल अधिकारी, खाद्य शाखा
   2. नोडल अधिकारी, कृषि एवं उद्यान
   3. पासपोर्ट
   4. लायसेंस
   5. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
   6. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
   7. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिये)
   8. नोडल अधिकारी, अन्त्याव्यवसायी
   9. नोंडल अधिकारी, सामान्य निर्वाचन/स्थानीय निर्वाचन

   कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

2. **श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर**

1. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
2. अपर कलेक्टर (नजूल)
3. नगर सेना
4. सांख्य लिपिक शाखा
5. वरिष्ठ लिपिक/अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा.
6. कोरबा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
7. कोरबा अनुभाग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
8. नोडल अधिकारी, आदिमजाति कल्याण विभाग
9. नोडल अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

3. **श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. प्रतिलिपि शाखा
2. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
3. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
4. आवक जावक
5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
6. दंगा पीड़ित 1984
7. जिला शहरी विकास अभिकरण
8. सूचना के अधिकार
9. सहायक अधीक्षक (विविध)
10. 20 सूत्रीय
11. पर्यावरण शाखा
12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग
13. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल
14. वित्त स्थापना

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

4. **श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी

1. सामान्य निर्वाचन
2. स्थानीय निर्वाचन
3. राजस्व मोहर्रिर
4. जिला नाजिर
5. नवोदय विद्यालय
6. कम्प्यूटर शाखा
7. राजस्व आंकिक
8. सिटीजन हेल्प लाईन
9. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
10. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
11. भू-अभिलेख
12. प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं मुद्रण

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

5. **श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. सिटी मजिस्ट्रेट थाना बाल्को, कोरबा थाना क्षेत्रों के लिये
2. नजूल अधिकारी
3. भाड़ा नियंत्रक
4. वाचक कलेक्टर
5. शिकायत/सर्तकता/विभागीय जांच
6. जनदर्शन/जनसम्पर्क
7. विशेष कक्ष

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

6. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर**
प्रभारी अधिकारी
1. सिटी मजिस्ट्रेट थाना दर्री, कुसमुण्डा थाना क्षेत्रों के लिये
2. सत्कार अधिकारी
3. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
4. सहायक अधीक्षक (राजस्व)
5. व्यवहारवाद
6. अल्प बचत
7. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच
8. सहायक अधीक्षक (सामान्य)
(पुरातत्व एवं पर्यटन, आर. बी. सी. के प्रकरण, सोल्शियम फंड/संजीवनी)

9. आपदा एवं राहत शाखा

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

7. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**
1. **राजस्व**
   1. अनुविभागीय अधिकारी
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

   6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
   (तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C.G.L.R.C.)

2. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा-145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी), तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

3. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

4. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

8. **सुश्री शिखा राजपूत, आई. ए. एस. (परिवीक्षाधीन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कटघोरा**

1. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान (तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

9. व्यपवर्तन प्रकरण (धारा 172 के तहत C.G.L.R.C.)

2. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिए अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी), तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

3. **विविध**

3. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

4. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर
2.	श्री एस. आर. साहू, अपर कलेक्टर	श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर
3.	सुश्री शिखा राजपूत, आई. ए. एस. (परिवीक्षाधीन) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा.	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
5.	श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर	श्री सर्वनाथ राम, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री आर. जी. साहू, अ.वि.अ., कटघोरा	श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर
8.	श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमति हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त कलेक्टर.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.